1345
02-05-06

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

कमांक:-एफ28( )परावि / प्रशा2 / ग्रासे / परासंघ / 11पार्ट / 05 / 1345
जयपुर,दिनांक 2. 5. 06

समस्त
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,राजस्थान ।

विषय:-ग्राम सेवकों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरणार्थ पंचायत समिति एव जिला परिषद मुख्यालय पर विशेष प्रकोष्ट बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करने के कम में ।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने विभाग को अवगत कराया है कि विभागीय परिपत्र कमांक 5909 दिनांक 31.10.77 एवं 988 दिनांक 17.1.83 तथा 1066 दिनांक 7.5.05 की पालना में जिला परिषद एवं विकास अधिकारियों द्वारा समय पर नियमित रूप से प्रकोष्ठ बैठकों का आयोजन नहीं किया जा रहा है । जिससे विभाग एवं जिला परिषद / पंचायत समिति के मध्य अनावश्यक पत्र व्यवहार हो रहा है ।

अतः विभाग द्वारा जारी निर्देशों की कडाई से पालना की जावे एवं विशेष प्रकोष्ठ बैठकों का निम्नानुसार आयोजन किया जावे:-

1. जिला परिषद स्तर पर माह जनवरी,अप्रैल,जुलाई,अक्टूबर की 23 तारीख को बैठक आयोजित की जावे । (4)
2. पंचायत समिति स्तर पर माह जनवरी,मार्च,मई,जुलाई,सितम्बर,नवम्बर की 15 तारीख को बैठक आयोजित की जावे । (6)

उक्त तारीख को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस को बैठक रखी जावे ।

उक्त बैठक की कार्यवाही विकास अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से एवं जिला परिषद सीधे विभाग को भिजवावेंगें । बैठक की प्रति संघ को भी भिजवावें ।

उप शासन सचिव (प्रशा.2)

53